अध्याय 1

संविधान एवं संविधान का निर्माण

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- संविधान क्या है और किसी भी संस्था/संगठन/देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है।
- संविधान की विशेषताओं के द्वारा संविधान की जानकारी कैसे प्राप्त करें, संविधान के प्रकार एवं उसके महत्व क्या हैं।
- संविधान सभा की मांग क्यों और कैसे की गयी तथा भारत के संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ।

परिचय (Introduction)

संविधान, किसी देश की राजव्यवस्था के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का तथा दायित्व का सीमांकन करता है। प्रत्येक संविधान, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है। यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध प्रदान करता है। प्रत्येक देश के संविधान का निर्माण वहां की विशेष परिस्थितियों को सम्मुख रखकर किया जाता है तथा प्रत्येक देश के इतिहास उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथ्य संविधान के निर्माण को अवश्य प्रभावित करते हैं। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा? संविधान राज्य के निर्माण और सरकार का आधार होता है। यह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करता है। यह सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है।

संविधान की विशेषताएँ (Characteristics of the Constitution)

सामान्य रूप से विविध संविधानों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर एक अच्छे संविधान के निम्नलिखित लक्षण बतलाए जा सकते हैं:

- कुछ विद्वानों का विचार है कि संविधान जितना संक्षिप्त हो उतना ही अच्छा है। संविधान के अंतर्गत देश की शासन-व्यवस्था में सम्बन्धित मूल बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए और दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित विस्तार की बातें लिखकर संविधान की गरिमा को आघात नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
- संविधान द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति, शक्ति एवं सरकार और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित किया जाता है। स्पष्टता के अभाव में संविधान से सम्बन्धित इन विविध पक्षों में निरन्तर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
- संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य शासन की मर्यादा सुनिश्चित करना और दूसरे व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने से नागरिकों की स्वतंत्रता एवं हित अधिक सुरक्षित हो जाते हैं और व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका नागरिकों के अधिकार के साथ मनचाहा खिलवाड़ नहीं कर पाते।
- शासन के विभिन्न विभागों को अपनी सीमा में रखने और इन विभागों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के हल के लिए स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्त्व न केवल उपयोगी वरन् आवश्यक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी स्वतंत्र न्यायालयों का अस्तित्त्व अनिवार्य है।

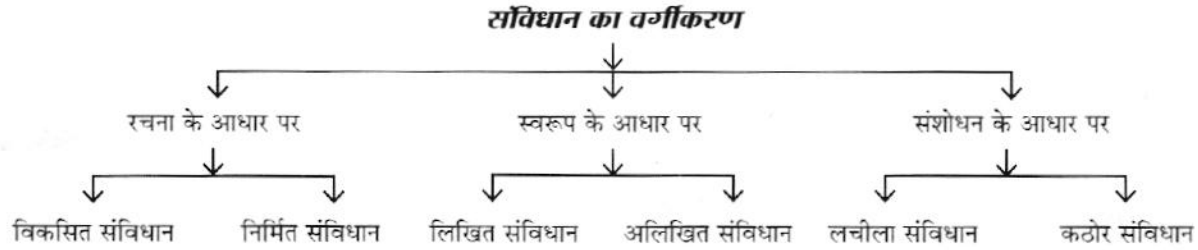

- मनुष्य एक विकासशील प्राणी है इसलिए आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ-ही-साथ संविधान में परिवर्तन होना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संविधान में परिवर्तनशीलता का होना नितान्त आवश्यक है।

संविधान का महत्त्व (Importance of Constitution)

संविधान द्वारा ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें तानाशाह होने से बचाता है। संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों की रक्षा करता है। संविधान एक ध्रुव तारे के समान है, जो शासक को हमेशा दिशा-निर्देश देता है और उसका मार्गदर्शन करता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध बनाए रखता है और उसमें जो मतभेद पैदा होता है, उसे स्पष्ट करता रहता है। संविधान एक आईना है जिसमें एक देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान को एक जड़ दस्तावेज के रूप में देखना उचित नहीं, वह निरंतर गतिशील रहता है।

संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार
(Constituent Assembly and Interim Government)

संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा है जिस के अंतर्गत उसकी जनता शारित होती है। संविधान की रचना का कार्य उस राष्ट्र की जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा चुने गए उस प्रकार के निकाय को 'संविधान सभा' कहा जाता है। सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा का विचार 'सर हेनरी मेन' ने प्रस्तुत किया था। व्यावहारिक तौर पर सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा गठित की गई थी।

संविधान सभा की मांग
(Demands of Legislative Assembly)

- संविधान सभा के विचार की धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में उस 'स्वराज विधेयक' में मिली, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- संविधान सभा का विचार, जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके, 1919 के अधिनियम के विरोध में अंतर्निहित था।
- 1922 में गांधी जी ने कहा था कि 'भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।'
- 1922 में ही एनी बेसेन्ट की पहल पर केन्द्रीय विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गयी, जिसमें संविधान सभा के प्रश्न पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया।
- जनवरी, 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास था।
- मई, 1928 में बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्त्व में एक समिति गठित की गई इस समिति की रिपोर्ट को 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से भी जाना जाता है।
- जून, 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि श्वेत पत्र (गोलमेज सम्मेलनों के बाद जारी किया गया श्वेत पत्र) का विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए।
- कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा कि थी कि 'किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा'
- 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार अधिकारिक रूप से स्वीकार किया। भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्त्वपूर्ण शर्तों के साथ थी।
- 1942 की क्रिप्स योजना को ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार कर लिया, जिसके तहत भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाना था, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी।
- 1946 के कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढ़ांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया।

संविधान सभा का गठन
(Formation of Legislative Assembly)

कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन 'नवम्बर 1946' में किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशों रियासतों से चुने गए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। स्थूल रूप से 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात रखा गया था। प्रत्येक प्रांत के स्थानों की

जनसंख्या के अनुपात में तीन प्रमुख सम्प्रदायों—मुस्लिम, सिक्ख तथा साधारण सम्प्रदाय में बांटा गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946, दिल्ली में हुआ था जिसमें डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 11 दिसम्बर, 1946 को हुई बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा बी. एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर हरेन्द्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 208 थी जबकि मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या मात्र 73 थी। चूंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निवार्चित सदस्यों की संख्या (73) कांग्रेस (208) की तुलना में कम थी। फलत: उसने संविधान सभा की प्रथम बैठक से ही, संविधान सभा की कार्यवाहियों का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग रखी। 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया।

उद्देश्य के प्रस्ताव

13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने नए संविधान के उद्देश्यों के विषय में एक प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य होगा।
- सरकार के सभी अंगों की शक्तियां जनता से प्राप्त की जाएगी।
- भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, अवसर की समानता तथा कानून के समक्ष सभी स्तरों पर व्यक्तियों की समानता, विचार व्यक्त करने का विश्वास, श्रद्धा, पूजा, व्यवसाय, संघ बनाने तथा कार्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा दी जाएगी।
- भारत के सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ (Union) का निर्माण किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक, पिछड़े तथा कबायली क्षेत्रों, शोषित तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए उचित सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा।
- गणतंत्र की क्षेत्रीय पूर्णता को स्थापित रखा जाएगा तथा इसके जल तथा वायु के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकारों को न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार लागू किया जाएगा।
- उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है।

संविधान सभा की विभिन्न समितियां (Committees of the Constitution Assembly)

22 जनवरी, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

1. संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित समितियां जैसे—प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति एवं कार्य समिति।
2. संविधान निर्माण करने वाली समितियाँ जैसे—संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति तथा प्रारूप समिति। इन सभी समितियों के केन्द्र में प्रारूप समिति थी।

तालिका 1.1: प्रारूप समिति

अध्यक्ष: बी.आर. अम्बेडकर	गठन (29 अगस्त, 1947)
अन्य सदस्य	(सात सदस्यीय)
1. श्री एन. गोपालास्वामी आयंगर	2. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
3. मोहम्मद सादुल्ला	4. के. एम. मुंशी
5. बी.एल. मित्र	6. डी.पी. खेतान

तालिका 1.2: अन्य समितियां

समिति	सदस्य संख्या	अध्यक्ष
संघ संविधान समिति	15	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	25	वल्लभ भाई पटेल
संघ शक्ति समिति	9	जवाहर लाल नेहरू
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति	54	वल्लभ भाई पटेल
कार्य संचालन समिति	3	कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी
झंडा समिति	—	आचार्य जे.बी. कृपलानी

संविधान का निर्माण (Formation of Constitution)

अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 15 नवम्बर, 1948 को प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार शुरू हुआ। प्रारूप संविधान प्रकाशित होने के बाद उसमें संशोधन करने के लिए 7635 सुझाव प्राप्त हुए जिनमें से 2473 सुझावों पर विचार किया गया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवम्बर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवम्बर 1948 को प्रारम्भ हुआ, जो 17 नवम्बर 1948 ई. तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवम्बर 1949 को प्रारंभ हुआ जो 26 नवम्बर 1949 तक चला। संविधान का तीसरा वाचन 26 जनवरी, 1949 तक चला जब संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया और संविधान को अंगीकार करके संविधान सभा ने यह सर्वोत्तम प्रलेख राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवम्बर, 1949 के दिन लागू कर दिए गए पर शेष संविधान 26 जनवरी के दिन के ऐतिहासिक

महत्त्व के कारण 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी, 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ कायम की गई। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, जबकि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई। इस ऐतिहासिक कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए।

ध्यातव्य हो कि

नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी एवं संक्रमणकारी उपबंधों से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों (अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393) को 26 नवम्बर, 1949 से लागू कर दिया गया। शेष संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और इस तिथि को संविधान में उसके प्रारम्भ की तिथि कहा गया।

अंतरिम सरकार का गठन
(Organization of Interim Government)

कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन के बाद लॉर्ड वेवेल ने जवाहर लाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए 14 अगस्त, 1946 को आमंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप जवाहर लाल नेहरू ने 2 सितम्बर, 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग ने जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार का बहिष्कार करते हुए 16 अगस्त, 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। फलस्वरूप पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम लीग ने पूरे देश में अराजकता फैलाकर अंतरिम सरकार के कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास किया। बाद में पुनः राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 26 अक्टूबर, 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया। लीग के नेताओं ने अंतरिम सरकार में अधिकार तो लिए किन्तु उत्तरदायित्व नहीं लिया। अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इन्कार कर दिया। लेकिन जब मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर दिया गया तो मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और अपने पाकिस्तान की मांग को और प्रखर रूप से तेज कर दिया।

स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमण्डल (2 सितम्बर, 1946)

- अध्यक्ष — लार्ड माउण्ट बेटन (पहले अध्यक्ष वेवेल थे।)
- मंत्रिमण्डल के प्रधान व कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, — पण्डित जवाहर लाल नेहरू

विदेशी मामले एवं राष्ट्र मण्डल सम्बन्ध

- गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री — सरदार वल्लभ भाई पटेल
- रक्षा मंत्री — बलदेव सिंह
- शिक्षा मंत्री — सी. राजगोपालाचारी
- उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री — डॉ. जॉन मथाई
- खाद्य एवं कृषि मंत्री — राजेन्द्र प्रसाद
- कार्य, खान तथा बन्दरगाह मंत्री — सी.एच. भाभा
- श्रम मंत्री — जगजीवन राम
- रेलवे मंत्री — आसफ अली
- वाणिज्य मंत्री — आई.आई. चुन्दरीगर
- वित्त मंत्री — लियाकत अली खां
- संचार मंत्री — अब्दुल रब नश्तर
- स्वास्थ्य मंत्री — गजनफर अली खां
- विधि मंत्री — जोगेन्द्र नाथ मण्डल

ध्यातव्य हो कि

प्रारम्भ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे परन्तु अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गयी।

संविधान सभा में दलीय स्थिति

- कांग्रेस — 208
- अछूत जाति संघ — 01
- मुस्लिम लीग — 73
- सिक्ख (कांग्रेस के अतिरिक्त) — 01
- यूनियनिस्ट पार्टी — 01
- साम्यवादी — 01
- यूनियनिस्ट मुस्लिम — 01
- स्वतंत्र (निर्दलीय) — 08
- यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट — 01
- कृषक प्रजा पार्टी — 01
- कुल — 296

स्वतंत्रता के पश्चात् अंतरिम मंत्रिमण्डल (15 अगस्त, 1947)

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी — अध्यक्ष
- पण्डित जवाहर लाल नेहरू — उपाध्यक्ष व प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ सम्बन्ध व वैज्ञानिक शोध
- सरदार बल्लब भाई पटेल — गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर — विधिमंत्री
- सरदार बलदेव सिंह — रक्षामंत्री

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद — खाद्य तथा कृषिमंत्री
- मौलाना अबुल कलाम आजाद — शिक्षा मंत्री
- डॉ. जॉन मथाई — रेलवे एवं परिवहन
- बाबू जगजीवन राम — श्रम मंत्री
- सी.एच. भाभा — वाणिज्य मंत्री
- रफी अहमद किदवई — संचार मंत्री
- राज कुमारी अमृत कौर — स्वास्थ्य मंत्री
- आर.के. षट्मुखम् चेट्टी — वित्त-मंत्री
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुख र्जी — उद्योग तथा आपूर्ति
- एन.वी. गाडगिल — खदान तथा ऊर्जा मंत्री

संविधान सभा में अल्पसंख्यक

- नेपाली — 1
- आंग्ल-भारतीय — 5
- सिक्ख — 5
- पिछड़ी जनजाति — 5
- पारसी — 3
- अनुसूचित जाति — 33
- ईसाई — 7
- मुस्लिम — 31

ध्यातव्य हो कि

कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष माउण्ट बेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात् कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गये थे।

संविधान सभा में महिला सदस्य

- सरोजनी नायडू
- सुचेता कृपलानी
- राजकुमारी अमृत कौर
- मालती मौधरी
- रक्षायनी बेलायुयन
- पूर्णिमा बनर्जी
- दुर्गाबाई देशमुख
- विजय लक्ष्मी पंडित
- अम्मू स्वामीनाथन
- लीला राय
- कमला चौधरी
- हंसा मेहता

भारतीय संविधान के स्रोत

भारतीय स्रोत

- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- नेहरू रिपोर्ट, 1928
- साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1930
- भारत सरकार अधिनियम, 1935

1935 का भारत शासन अधिनियम

- अध्यादेश
- अनुच्छेद 143 (सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति)
- तदर्थ नियुक्तियां
- कैग (Cag)
- प्रशासनिक ब्यौरे
- लोक सेवा आयोग
- राज्यपाल
- त्रिसूची प्रणाली (केन्द्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)
- आपातकाल (आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन जर्मनी से लिया गया है।)

विदेशी स्रोत

ब्रिटेन

- संसदीय प्रक्रिया
- विधि निर्माण प्रक्रिया
- संसदीय शासन प्रणाली
- संसदीय विशेषाधिकार (रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि)
- एकल नागरिकता
- विधि का शासन
- राष्ट्रपति का अभिभाषण
- बहुमत प्रणाली (First Past—the Post-the Post System)
- विधि के समक्ष समानता।

संयुक्त राज्य अमेरिका

- राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन
- राष्ट्रपति पर महाभियोग
- उपराष्ट्रपति का पद
- उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
- मौलिक अधिकार
- संविधान की सर्वोच्चता
- न्यायालय की स्वतंत्रता
- संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- विधि का समान संरक्षण

ध्यातव्य हो कि

शक्तिशाली केन्द्र की परिकल्पना जिसमें अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Power) केन्द्र को प्राप्त हो व राज्यों को केन्द्र से अलग होने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

कनाडा

- संघीय शासन व्यवस्था
- राज्यों का संघ
- राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करना।
- राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रारक्षित करने का प्रावधान।

आस्ट्रेलिया

- समवर्ती सूची
- प्रस्तावना में इस्तेमाल की गई भाषा
- उद्देश्य में निहित भावानाएं
- प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा

आयरलैण्ड

- नीति निदेशक तत्त्व
- राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली (आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली)
- राज्य सदन में मनोनीत सदस्य (साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा)

जर्मनी

- आपातकाल में मूलअधिकारों का निलम्बन (आपातकाल, 1935 के अधिनियम पर आधारित है)

फ्रांस

- गणतांत्रिक व्यवस्था
- संविधान मे वयोवृद्ध सदस्यों को उचित स्थान

दक्षिण अफ्रीका

- संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया

सोवियत संघ

- मूल कर्त्तव्य, पंचवर्षीय योजना

जापान

- अनुच्छेद 21 की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

स्विट्जरलैण्ड

- सामाजिक नीतियों के संदर्भ में नीति निदेशक तत्त्वों का उपबंध

तालिका 1.3: देश क राष्टीय चिन्ह/प्रतीक

चिन्ह/प्रतीक	नाम	तिथि में घोषित/अपनाया गया
राष्ट्रीय चिन्ह	सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ	26 जनवरी, 1950 में अपनाया गया।
राष्ट्रीय ध्वज	तिरंगा	22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।
राष्ट्रीय गान	जनगण-मन	24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, इसकी रचना रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उनके उपन्यास गीतांजलि से लिया गया।
राष्ट्रीय गीत	वन्देमातरम्	24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया, इसकी रचना बंकिम चन्द्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनन्द मठ में की थी।
राष्ट्रीय पशु	बाघ	यह पैंथराटाइग्रिस-लिन्नायस प्रजाति का पशु है, जिसे शेर-ए-मैसूर भी कहा जाता है।
राष्ट्रीय पक्षी	मोर	वैज्ञानिक नाम 'पावो क्रिस्टेटस' अंग्रेजी में 'ब्लू पिकॉक' कहा जाता है।
राष्ट्रीय जलीय जीव	गंगा डाल्फिन	वर्ष 2009 में घोषित किया गया, गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में सहायक।
राष्ट्रीय स्मारक	इंडिया गेट	देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक जो प्रथम युद्ध के बाद सैनिकों की याद में शिल्पकार **एडविन लुटियंस** द्वारा तैयार किया गया था।
राष्ट्रीय वृक्ष	बरगद	वैज्ञानिक नाम '**फाइकस बेंघालेंसिश**', रात में भी आक्सीजन छोड़ता है।
राष्ट्रीय पंचांग	शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग	-
राष्ट्रीय विरासत पशु	हाथी	वर्ष 2010 में स्वीकृत।

अध्याय सार संग्रह

- किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है।
- प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।
- किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उसके लोग शासित होते हैं, उसके मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है।
- संविधान को देश का 'आधारभूत विधि' भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है।
- किसी देश का संविधान नियमों अथवा विधियों को एक लिपिबद्ध आलेख भर नहीं हैं, बल्कि यह लोकतांत्रिक क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ विकसित होने वाला एक सजीव दस्तावेज होता है, जो सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करता है।
- संविधान उन समस्त लिखित और परम्पराओं पर आधारित अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिनके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का गठन किया जाता है।
- संविधान, सम्बद्ध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है और उनके कर्त्तव्यों को भी परिभाषित करता है।
- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा नवम्बर 1946 में किया गया था।
- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी इसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था।
- संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया और संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. एच. सी. मुखर्जी बनाये गये।
- श्री बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया।
- संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आचार्य जे.बी. कृपलानी, टी.टी. कृष्णामाचारी एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को 'संविधान का पिता' कहा है।
- प्रारूप समिति के एक सदस्य बी.एल. मित्र मात्र एक ही बैठक के बाद हट गये थे। उनके द्वारा रिक्त स्थान पर एन. माधव राव को लिया गया था।
- संविधान सभा का अंतिम (12वां) अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ। इस अवसर पर 308 सदस्यों ने पारित संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- संविधान सभा में कुल 7635 संशोधन प्रस्तावित किये गये थे इनमें से 2473 संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के निर्माण में कुल 63 लाख 96 हजार 729 रुपये का व्यय हुआ था।
- संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने 13 महत्त्वपूर्ण समितियां बनायी।
- 21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति द्वारा तैयार भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया।
- 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप स्वीकार किया।
- 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया।
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा को तदर्थ संसद, के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ।
- भारतीय संविधान लगभग 300 पृष्ठों में है और यह विश्व का सबसे वृहद् संविधान है। जिसके निर्माण मे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा जिसमें विधिनिर्माण 130 दिन का समय लगा।